न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 03/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. गोपी राम पुत्र सेवा राम नायक निवासी 17 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1.गुरमीत कौर पत्नि निर्मल सिंह मजहबी निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2.गुरप्रताप सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:-17.03.2020

उपस्थित: 1.श्री जसकरण गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री दलजीत सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3.श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2

--निर्णय-- दिनांक : 25/02/21

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिए अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 22 के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 20 के 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 21 के 0.253 हैक्टर बारानी कुल 0.506 हैक्टर बारानी रकबा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी चक के खाता संख्या 21 के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 के 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 10 के 0.253 हैक्टर बारानी कुल 0.506 हैक्टर बारानी रकबा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रकबा में आने जाने के लिए प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 में 0.015 हैक्टर व किला नम्बर 10 में 0.015 हैक्टर रास्ता जो किला नम्बर 2 के साथ चिपता पूर्व दिशा में दक्षिण से उतर की ओर आने जाने के लिए चालू रास्ता का प्रयोग करते हुए अपने रकबा में प्रवेश करता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कई वर्षो से उपर्युक्त वर्णित रास्ता का उपयोग व उपभोग कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त चालू रास्ता को बन्द करने की फिराक में है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 व 10 में चल रहे रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी उक्त रास्ता की एवज में भूमि की किमत अप्रार्थी को देने के लिए तैयार है। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha R
Date: 2021.03.02 11:45:44
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर अंकित प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 18 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 20, 21 में आने जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 के 0.015 हैक्टर, व किला नम्बर 10 के 0.015 हैक्टर किला नम्बर 2 के साथ चिपता पूर्व दिशा की ओर उतर से दक्षिण चालू रास्ता को मंजूर किया जाकर उक्त रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में बतौर रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

25/02/21

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार यह कहना गलत है कि प्रार्थी अपनी भूमि में आने जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 में 0.015 हैक्टर व किला नम्बर 10 में 0.015 हैक्टर जो किला नम्बर 2 के साथ चिपता पूर्व दिशा में दक्षिण से उतर की ओर आने जाने के लिए चालू रास्ता का प्रयोग करता हुआ अपने रकबा में प्रवेश करता हो। उक्त रकबा के लिए कोई मंजूरशुदा रास्ता ना हो, प्रार्थी कई वर्षो से उक्त रास्ता का ही उपयोग एवं उपभोग कर रहा हो, सही तथ्य यह है कि मौका पर ऐसा कोई चालू रास्ता नहीं है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र आधा अधूरा पेश किया गया है। चूकिं प्रार्थी द्वारा स्वंय कहा गया है कि उसकी मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 20, 21 में भूमि है और वह इसी भूमि के लिए रास्ता मंजूर करवाना चाहता है, जो किला नम्बर 1, 10 में से लेना चाहता है, लेकिन किला नम्बर 1, 10 तथा 20, 21 के बीच में किला नम्बर 11 भी है, जो गुरप्रताप सिंह की भूमि है, जिसे प्रार्थी ने उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी को गुरप्रताप सिंह की भूमि में से भी रास्ता मांगना जरूरी था, जिससे प्रार्थी की भूमि तक रास्ता पहुंच जाता, इसलिए गुरप्रताप सिंह को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। जिसके अभाव में उक्त प्रकरण में असंयोजन की भारी त्रुटि है, इसलिए उक्त प्रकरण किसी भी रूप में चलने योग्य नहीं है। अतिरिक्त कथन के अनुसार भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ता से अप्रार्थी सहमत है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 गुरमीत कौर बिल्कुल अनपढ है एंव अंगूठा छाप है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त फर्द पर इसलिए अंगूठा दर्ज किया गया था, क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 को कहा गया था कि आज हम मात्र मौका देखने आए है और आपकी केवल उपस्थिति दर्ज करने हेतु आपका अंगूठा चाहिए, यह कहते हुए अप्रार्थी संख्या 1 को धोखे में रखते हुए उक्त फर्द पर अंगूठे करवा लिए गए। अप्रार्थी संख्या को उक्त फर्द ना तो पढकर सुनाई गई एवं ना ही समझाई गई एंव ना ही दिखाई गई। अप्रार्थी सख्या 1 मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 व 10 की पूर्व दिशा पर रास्ता मंजूर करवाने हेतु सहमत नहीं है, यदि मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 एवं 10 की पूर्व दिशा में रास्ता मंजूर किया जाता है तो उससे मुरब्बा नम्बर 50 की भूमि दो टूकडो में हो जाऐगी, कानूनन कोई भी रास्ता मुरब्बा के बीचों-बीच मंजूर नहीं किया जा सकता, हमेशा मुरब्बा की पत्थर लाईन पर रास्ता एंव खाला मंजूर किया जाता है, ताकि किसी भी काश्तकार की भूमि दो हिस्सों में बंटने से परेशानी ना हो। इसके अलावा मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 6 में स्थित टयूबेल से अप्रार्थी संख्या 1 मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2 की उतरी बट के साथ-साथ खाला से अपनी उक्त भूमि में पानी लगाती है, यदि मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 एंव 10 में रास्ता मंजूर किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि एंव खाला के मध्य रास्ता आ जाने से अप्रार्थी की भूमि में [illegible] नम्बर 50 के साथ चिपता हुआ मुरब्बा नम्बर 51 है, जिसके किला नम्बर [illegible] 6 [illegible] पूर्वी बट के साथ-साथ वर्तमान में रास्ता चल रहा है, जिसस[illegible] होकर गोपीराम अपनी [illegible] में प्रवेश करता है। गोपीराम को उक्त चल रहे रास्ता को ही मंजूर करवाना [illegible] मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 व 10 की पूर्वी बट पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है, ना ही ऐसा तहसीलदार की रिपोर्ट में है, प्रार्थी के पास विकल्प में रास्ता मंजूर है, इसलिए प्रार्थी को उक्त रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी के पास विकल्प होने के कारण मात्र सुविधा के लिए रास्ता मंजूर नहीं किया जा सकता। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय अतिरिक्त कथन पेश करके निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha [illegible]
Date: 2021.03.02 11:45:44
Reason: SelfAttested

25/02/[illegible]

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
करणपुर (श्री गंगानगर)

मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी (अप्रार्थी) गुरप्रताप सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश की। नकल प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति जाहिर किया। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी बाद सुनवाई स्वीकर किया जाकर गुरप्रताप सिंह पुत्र गुरदीप सिंह को बतौर अप्रार्थी संख्या 2 के रूप में संयोजित किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 व 10 की पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण की ओर मुझ अप्रार्थी संख्या 2 की किला नम्बर 11 की पूर्वी दिशा में से होता हुआ अपने किला नम्बर 20 में प्रवेश करता है। अप्रार्थी संख्या 2 के नाम मुरब्बा नम्बर 50 का किला नम्बर 11 का पूर्वी दिशा का आधा बीघा दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने उक्त किला नम्बर 11 के पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण दिशा में प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता छोडा हुआ है, जो मौका पर चल रहा है। उक्त रास्ता के बाबत् हल्का पटवारी व गिरदावर मौके पर वास्ते रिपोर्ट लेने गए थे। तब अप्रार्थी संख्या 1 गुरमीत कौर व उसके लडके मनदीप सिंह ने उक्त रास्ते की बात सहमती दे दी थी, और फर्द पर अपने हस्ताक्षर भी किये है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के क्रमांक 765 दिनांक 28.09.2020 के द्वारा प्राप्त हुई। जिसके अनुसार मौका निरीक्षण वादी व प्रतिवादी दोनों की उपस्थिति में किया गया। वादपत्र अनुसार चाहे गए रास्ते हेतु वादी व प्रतिवादी दोनों सहमत है। रास्ता वादपत्र में मुरब्बा लाईन पर न होकर बीच में से चाहा गया है। इससे वादी के अलावा इसी मुरब्बा नम्बर में अन्य खातेदार गुरप्रताप सिंह व लखविन्द्र सिंह के वारिसों का भी रास्ता लगता है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। अप्रार्थी अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड द्वारा पेश न्यायिक नजीरों माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय S.B- Civil Writs No- 12386 of 2015; dicided on 04-11-2015 व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर 2017(1) RRT 423 का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में उपयोग किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव भू-अभिलेख निरीक्षक वृत-मानकसर और पटवारी 14 एफ एफ की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नुनसार है।

" कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है [illegible] अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए [illegible] को आवेदन कर सकेंगे।"

उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किये गये प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा। भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ग्राम 18 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 11/1, 20, 21 का अभिलिखित खातेदार है, तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 50

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ra
Date: 2021.03.02 11:45:44 I
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
25/02/21

के किला नम्बर 1 एवं 10 से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 व 10 दोनों में से किला नम्बर 1 निकटतम रिकोंडड रास्ते पर स्थित है। भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी की फर्दमौका एंव नक्शा ट्रेस में नवीन रास्ता को मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 व 10 के पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण की ओर दर्शाया गया है। हमने फर्द मौका तथा नक्शा ट्रेस का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 एंव 10 प्रत्येक में 0.015 हैक्टर उतर से दक्षिण की ओर पूर्वी दिशा में रास्ता चाहा गया है। नक्शा ट्रेस से यह स्पष्ट है कि उक्त रास्ता किला नम्बर 11/2 रकबा 0.126 हैक्टर गैर मुमकिन आवासीय भूमि तक जा पायेगा न कि प्रार्थी की कृषि भूमि तक। 251क के प्रावधानों के अनुसार कृषि भूमि के खातेदार को ही नवीन रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 व 10 की पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण की ओर नवीन रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उसकी पंहुच आराजी तक नहीं हो पाऐगी। लिहाजा किला नम्बर 1 व 10 की पूर्वी दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जाना हम विधिसंगत नहीं समझते है। प्रार्थी के किला नम्बर 11/1, 20 तथा 21 में पहुचने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के किला नम्बर 1 व 10 प्रत्येक में 0.015 हैक्टर कुल 0.030 हैक्टर भूमि पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण की ओर नवीन रास्ता स्वीकृत किया जाना हम उचित एंव विधिसंगत समझते है। साथ ही प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा दर्ज आपत्तियां निराधार एंव सारहीन होने से अस्वीकार्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक रूप से साबित होने से स्वीकार किया जाता है। ग्राम-18 एफ एफ, तहसील श्रीकरणपुर, के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 व 10 प्रत्येक किला की पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण की ओर प्रत्येक किला से 0.015 हैक्टर कुल 0.030 हैक्टर भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिए जाते है कि मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 व 10 की प्रचलित डी.एल.सी. दर के आधार पर नियमानुसार डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थी से वसूलकर अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान करे, उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाए, यदि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें। तब तक की अप्रार्थी संख्या 01 इस बाबत् तैयार न हो जावे, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर सं... कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha...
Date: 2021.03.02 11:45:...
Reason: SelfAttested

(लाखाराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
करणपुर (श्री गंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 25/02/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

25/02/21
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) करणपुर (श्री गंगानगर)